न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस**
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14 / 2019 GCMS NO 2019 / 00211
दायरा तिथि : 27.05.2019
आदेश तिथि : 14-3-2022

प्रार्थीनी :–
झमुबाई पत्नि गोंगारामजी जाति जणवा
निवासी लालराई तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. दलाराम पुत्र मेगाजी
2. गंगा पत्नि दलारामजी
3. बगदी पुत्री मेगाजी जातिगण जणवा सिरवी
   निवासीगण लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 14-3-2022

प्रार्थीया ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 481 रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण दलाराम पुत्र मेगाजी जाति जणवा चौधरी वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली के खसरा नंबर 460 / 1, 480, रकबा क्रमशः 006 हैक्टर, 0.13 हैक्टर किस्म बारानी व राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 0.50 हक्टर किस्म बारानी अवव्ल मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 2021 / 1276 दिनांक 29.07.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 481 रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि श्रीमति झमुबाई पत्नि गोगाराम जाति जणवा निवासी लालराई के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। प्रार्थीया के द्वारा खसरा नंबर 457 मेंसे रास्ता चाहा गया है, किन्तु उक्त रास्ता काफी दूर एवं लम्बा है। अतः नजदीकी रास्ता खसरा नंबर 460 / 1, 480, 483 मेंसे उपलब्ध हो सकता हैं।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	460 / 1	0.06	बा.प्र.	40X4.57 =183 वर्गमीटर	गंगा पत्नि दलाराम हि. 1/3, दलाराम पुत्र मेगाराम हि. 1/3, बगदी पुत्री मेगाराम हि. 1/3 जाति सीरवी
2	480	0.13	बा.प्र.	56X4.57 =256 वर्गमीटर	गंगा पत्नि दलाराम हि. 1/3, दलाराम पुत्र मेगाराम हि. 1/3, बगदी पुत्री मेगाराम हि. 1/3 जाति सीरवी
3	483	0.45	गै.मु. वाला	**6X4.57 =28 वर्गमीटर**	**राजकीय सिवाय चक (प्रतिबंधित भूमि)**
				467 वर्गमीटर	

पेज लगातार............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2019 GCMS NO 2019/00211
अनवान झमुबाई बनाम राजस्थान दलाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम लालराई की डी.एल.सी. दर 25575/—रूपये प्रति बीघा हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। किन्तु मेड पर तारबन्दी के तीन सीमेंट के खम्बे व ताराबन्दी की क्षति होगी, जिसकी अनुमानित लागत 3000/— है, अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् अधिवक्ता अप्रार्थी को जबाव/ आपत्ति प्रस्तुती के कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद किसी प्रकार का एतराज/ आपत्ति पेश नहीं की गई। परन्तु बहस के पश्चात् पत्रावली आदेश के लिये लंबित रहते हुये दिनांक 08.03.2022 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 460/1, 480, 457 में रास्ते की मांग की गई है, परन्तु खसरा नंबर 457 गैर मुमकिन नाला है, जो मौके पर मौजूद है। एवं खसरा नंबर 460/1 व 480 के चारो तरफ तारबंदी की हुई है, एवं पीलर लगे हुये है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता गैर मुमकीन नाला के रास्ता से होने से विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई के खसरा नंबर 481 रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परन्तु तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2021/1276 दिनांक 29.07.2021 से जो रास्ता प्रस्तावित किया है, उस रूट में खसरा नंबर 483 रकबा 0.45 हैक्टर गै.मु. वाला मेंसे रकबा 6X4.57 =28 वर्गमीटर प्रस्तावित किया है। तहसीलदार, बाली न अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि होना भी वर्णित किया है। गै.मु. वाला किस्म प्रतिबंधित भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत आवेदक को उक्त रूट से नया मार्ग उपलब्ध कराया जाना असंभव है। इस प्रकार प्रार्थी की रास्ते की मांग विधि के प्रावधानो के विपरित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 एतदद्वारा खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2022/ 858—861
दिनांक : 25-3-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, सेसली
4. आवेदक झमुबाई पत्नि गोंगारामजी जाति जणवा निवासी लालराई तह. बाली को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner